न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, द्वितीय, सहारनपुर।
उपस्थितः–प्रबोध कुमार वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) ;ID No.-UP1853)
दाण्डिक निगरानी संख्या–405/2022
CNR No:UPSP010132362022

प्रणवीर सिंह पुत्र प्रघुमन कुमार निवासी ग्राम खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– राज्य उत्तर प्रदेश
2– अमित कुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम भलसवा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
3– बलबीर सिंह रावत पुत्र नामूलम शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक ग्राम कोलकी कलां थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा प्रणवीर सिंह बनाम अमित कुमार आदि अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.07.2022 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश नियम विरूद्ध विधि विरूद्ध उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत होने के कारण व बिना न्यायिक मस्ष्तिक व विवेक का प्रयोग किये नितक्रम मे यांत्रिक तौर पर पारित होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य, जे०सी०आर०सी० 2014 पृष्ठ सं. 1 के सर्वमान्य सिद्धान्तों का स्पष्टतः उल्लघंन किया है। थाना हाजा से वाद के सम्बन्ध में आख्या इस आशय की सम्प्रेषित की जानी थी कि थाना हाजा पर कोई वाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है अथवा नही। इस सबंध की कोई आख्या थाना हाजा में अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं भेजी और बिना आख्या प्राप्त हुये ही प्रणवीर सिंह प्रश्नगत आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध पारित कर अहम त्रुटि की है प्रतिउत्तरदाता सं. 3 जो प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) फौजदारी मे मुलजिम सं० 2 है एंव बैंक सम्बन्धित का कर्मचारी है। जिसने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये निगरानीकर्ता सम्बन्धित चैक को बैंक में दाखिल करने हेतु जाने पर चैक को बैंक में जमा नहीं किया और चैक की समय सीमा को जानबूझकर निकाला और निगरानीकर्ता को मुलजिम सं० 1 की ओर से आश्वस्त

किया कि वह तीन चार दिन में आपकी धनराशि लौटा देगा। इससे स्पष्ट है कि दोनों मुलजिमान का परस्पर साज था व है। जब निगरानीकर्ता चैक सम्बन्धित को दोबारा बैंक में जमा करने गया तो विपक्षी सं० 3 ने उस चैक को बैंक मे दाखिल करने से साफ मना कर दिया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय इस तथ्य को जानबूझकर नजरअदांज किया है कि गंभीर संज्ञेय अपराध मुलजिमान ने किया है और कानूनन व इंसाफन अधीनस्थ न्यायालय को या तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाने का आदेश पारित करना था अथवा प्रार्थनापत्र को स्पीकिंग आर्डर सहित समस्त तथ्यों को उदधृत करते हुये प्रार्थनापत्र को निरस्त करना था। निगरानीकर्ता की गैर मौजूदगी मे भी उक्तानुसार आदेश पारित करना था। ऐसा न कर विद्वान न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.07.2022 को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र को विधिसम्मत रूप से निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

3– निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के समर्थन में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आदेश दिनांकित 28.07.2022 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की है।

4– उत्तरदाता/विपक्षी सं0 1 की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित है तथा उनकी ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने के आधार पर प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– उत्तरदातागण/विपक्षी सं0 2 व 3 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा मौखिक आपत्ति करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने के आधार पर प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रणवीर सिंह बनाम अमित कुमार आदि में दिनांक 28.07.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर बल देने हेतु उपस्थित न आने एवं अनुपस्थिति में निरस्त किया गया।

8– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित आदेश के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा को अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 बल देने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु प्रार्थी/निगरानीकर्ता विगत कई तिथियों तक अनुपस्थित रहा तथा न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। मूल पत्रावली के आदेश पत्रक के अवलोकन से भी यह विदित होता है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित नहीं रहा है तथा उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत है अथवा नहीं के सम्बन्ध में आख्या लम्बित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता को अपने प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कई अवसर देने के उपरांत उसकी लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया था। ''**माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** द्वारा भी **गजेंद्र कुमार अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** में यह निर्धारित किया है कि धारा 156(3)

दं0प्र0सं0 के तहत दी गई अर्जी एक प्रारंभिक चरण होती है। यदि परिवादी लगातार गैर–हाजिर रहता है, तो यह माना जा सकता है कि वह अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। ऐसे में प्रार्थना पत्र को खारिज करना पूरी तरह से न्यायसंगत है।''

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Vinay Tyagi Vs. Irshad Ali, (2013)5 SCC 762 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा तथ्य के बिन्दु पर दिये गये निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करने का तब तक क्षेत्राधिकार नहीं है, जब तक उक्त दिया गया निष्कर्ष अनुचित (perverse) न हो। उपरोक्त विधि सिद्धान्तों के प्रकाश में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश में दिया गया निष्कर्ष अनुचित प्रतीत नहीं होता है।

10. इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं व विवेचना के दृष्टिगत विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के परिशीलन से यह भी दर्शित होता है कि उन्होंने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित नहीं किया है और न ही निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे हैं। अतः इस न्यायालय की राय में पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है एवं आदेश दिनांकित 28.07.2022 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

11. पुनरीक्षणकर्ता प्रणवीर सिंह की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–551/2022, प्रणवीर सिंह बनाम अमित कुमार आदि अतंर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० थाना–गागलहेडी, जिला–सहारनपुर के मामले में पारित आदेश दिनांकित 28.07.2022 की पुष्टि की जाती है।

12. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय का मूल अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापस प्रेषित किया जाये।

दिनांक– 27.02.2026

(प्रबोध कुमार वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, द्वितीय
सहारनपुर।
(ID No.-UP1853)

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 27.02.2026

(प्रबोध कुमार वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, द्वितीय
सहारनपुर।
(ID No.-UP1853)

UPSP010063282022

<u>न्यायालय:-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-11, सहारनपुर।</u>
उपस्थित :-श्री आलोक शर्मा, (एच०जे०एस०).....(ID-UP1751)
<u>दाण्डिक निगरानी सं.-169/2022</u>

विनोद कुमार पुत्र इसम सिंह निवासी ग्राम शकरपुर साकरोर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

.....निगरानीक

र्ता

बनाम

1-राज्य उत्तर प्रदेश
2- अरविन्द पुत्र बिटटू
3-प्रिंस पुत्र अनिल
4-सौरभ पुत्र परमिन्दर
5-काला पुत्र जसबीर
6-नितीश पुत्र उदयवीर
निवासीगण ग्राम कल्लरहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
7-मंगल पुत्र रमेश निवासी ग्राम पठानपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
8-लक्ष्य पुत्र पंकज
9-प्रांजल पुत्र बलबीर
10-अनुराग पुत्र अनुज
11-अमित उर्फ कल्लू पुत्र अशोक
12- ऋतीश पुत्र योगेन्द्र
निवासीगण ग्राम बीरबल गढी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
13-मिलन पुत्र हरविन्दर निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

.....विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1- प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट / सिविल जज सी.डि./एफ.टी.सी., सहारनपुर द्वारा मु.अ.सं. 180/2022 सरकार बनाम अमित उर्फ कल्लू आदि में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.04.2022 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2- निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी तथ्य व साक्ष्य का अवलोकन नही किया गया मात्र सरसरे तौर पर आदेश पारित करने की त्रुटि की है। चुटैलो की चोटों को बिना जाने उक्त आदेश पारित किया है। पी०जी०आई० चन्डीगढ के सभी चिकित्सीय अभिलेखो से स्पष्ट है कि मजरूब वंश व प्रणव की हालत चिन्ताजनक थी और उनको आयी चोटो की वजह से समय से सही ईलाज न मिलने से उनकी जान भी जा सकती थी क्योकि दोनो ही गंभीर हालत मे पी०जी०आई०चन्डीगढ मे भर्ती रहे है। इस कारण पी०जी०आई०चन्डीगढ की चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर उक्त मामले मे अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308 आई०पी०सी० की बढोतरी की

जानी न्याय हित मे आवश्यक है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.04.2022 कर धारा 308 भा.दं.सं. का इजाफा कर अभियुक्तगण को तलब करने की याचना की गयी है।

3- निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के समर्थन में न्यायालय सिविल जज सी.डि./एफ.टी.सी. सहारनपुर के आदेश दिनांकित 18.04.2022 तथा रिमाण्ड शीट की छायाप्रति दाखिल की है।

4. प्रस्तुत निगरानी दाखिल करने के बाद से निगरानीकर्ता कई तिथियों पर अनुपस्थित रहा। निगरानीकर्ता को बहस हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी निगरानी पर बल देने हेतु न तो निगरानीकर्ता तथा न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित आ रहे हैं। चूँकि निगरानीकर्ता को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं तथा विगत तिथि दिनांक 24.09.2024 को निगरानीकर्ता की लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु निगरानीकर्ता आज भी उपस्थित नहीं हुआ। तदनुसार, स्थापित विधिक सिद्धान्तों के तहत निगरानीकर्ता की लगातार अनुपस्थिति के दृष्टिगत, पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों को विचार में लेते हुए गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुत निगरानी का निर्णय किया जाना न्यायसंगत है।

5- उत्तरदाता/विपक्षी सं.1 की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित है तथा उनकी ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने के आधार पर प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6- उत्तरदातागण/विपक्षी सं. 2 ता 13 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा मौखिक आपत्ति करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने के आधार पर प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7- मैंने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

8- पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 180/2022 सरकार बनाम अमित उर्फ कल्लू में पारित आदेश दिनांकित 18.04.2022 के माध्यम से निम्न आदेश पारित किया गया है,

> *"उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा दिनांक 15.04.2022 को प्रथम रिमाण्ड के दिन उपरोक्त अभियुक्तगण की उपरोक्त धाराओं में रिमाण्ड की याचना की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2022 तक के लिए साक्ष्य संकलन हेतु रिमाण्ड स्वीकृत किया गया था जो दिनांक 18.04.2022 को केस डायरी के पर्चा संख्या 6 का अवलोकन किया गया एवं विवेचक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रपत्र का अध्ययन किया गया जिसमें मजरूब की चोट में ऐसी कोई चोट चिकित्सक द्वारा नहीं बताई गई जो जान जाने वाली हो। मजरूब वंश व प्रणव के चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिसमें किसी भी प्रकार का फैक्चर होने का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या धारा तिलिपि विभ 308 भा०द०सं० का अपराध होना परिलक्षित नहीं होता है परन्तु अन्य प्रपत्रों के आधार पर धारा- 324 भा०द०सं० का अपराध होना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित होता है। अतः धारा 308 भा०द०सं० विलोपन की जाती है तथा धारा- 324 भा०द०सं० की बढोत्तरी की जाती है। अतः रिमाण्ड धारा 147, 323, 506 तथा 324 भा०द०सं० दिनांक 30.04.2022 तक स्वीकार किया जाता है।"*

9- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित आदेश के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजी साक्ष्यों को विचार में लेने के उपरान्त अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एक तर्क पूर्ण एवं विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई भी विधिक त्रुटि, अनियमितता अथवा विकृतता कारित होना प्रकट नहीं हो रहा है।

10-यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द (2012)9 एस.सी.सी. 460** उल्लेखनीय है जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में जो तथ्य के निष्कर्ष दिये गये है, उन्हे निगरानी न्यायालय तब विखण्डित करे, जब कि विचारण न्यायलय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश पारित करने में गम्भीर त्रुटि या घोर अनियमितता बरती गयी हो।

11-अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के तहत चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यो के आधार पर आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.04.2022 को पारित किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि, अनियमितता अथवा विकृतता का कारित किया जाना प्रकट नही हो रहा है अपितु विस्तृत आदेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा युक्ति युक्त आधार पर पारित किया गया है। तदनुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं0 169/2022 विनोद कुमार बनाम उ०प्र० राज्य आदि बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

12-प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं0 169/2022 विनोद कुमार बनाम उ०प्र० राज्य आदि **निरस्त** की जाती है। तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 18.04.2022 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 08.10.2024

(आलोक शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 11, सहारनपुर

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक- 08.10.2024

(आलोक शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 11, सहारनपुर

Digitally signed by PRABODH KUMAR VERMA
Date: 2026.02.27 16:45:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court